पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

केवल सिंह ढिल्लन

(दीवानी अपील संख्या 5226/2008)

25 अगस्त 2008

**[आर.वी रविन्द्रन और पी.सदाशिवम, न्यायमूर्तिगण ]**

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 11 - याचिका अन्तर्गत - उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित सिविल न्यायाधीश का आदेश, याचिका को खारिज करना- अभिनिर्धारित : संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत रिट याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है - दलील, कि आदेश को केवल अनुच्छेद 136 का सहारा लेकर चुनौती दी जा सकती है, तर्क संगत नहीं - भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136, 227।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 136 क्षेत्र और विस्तार।

वर्तमान अपील में जो प्रश्न विचार हेतु उठा वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित प्रधान सिविल न्यायाधीश का माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत याचिका को खारिज करने का आदेश, रिट अधिकारिता के अधीन था।

**अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित -**

**1. धारा 11 की उपधारा (4) या उपधारायें (5) और (6) के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश और उसके पदाभिहित के दिये आदेश के विरूद्ध माध्यस्थम और सुलह**

अधिनियम, 1996 में अपील के प्रावधान नहीं है, दूसरी ओर धारा 11 की उपधारा (7) यह स्पष्ट करती है कि पदाभिहित का धारा 11 की उपधारा (4), (5) या (6) के अन्तर्गत निर्णय अंतिम है, क्योंकि पदाभिहित के आदेश के विरूद्ध कोई अपील पोषणीय नहीं थी, इसलिए उसका आदेश अंतिम हो गया एवं यद्यपि यह एक न्यायिक आदेश है, अपीलार्थी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत रिट याचिका द्वारा आदेश को चुनौती देने का एक मात्र उपाय उपलब्ध था। [पैरा 6] [573-ई-एफ]

2. यद्यपि धारा 11(4) के अन्तर्गत आदेश एक न्यायिक आदेश है, ऐसे आदेशों की अन्तिमता से सम्बन्धित धारा 11(7) को ध्यान में रखते हुए, और अपील के लिए किसी भी प्रावधान नहीं होने से, सिविल न्यायाधीश के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती थी। एस.बी.पी. में निर्णय ऐसी रिट याचिका को वर्जित नहीं करता। एस.बी.पी. में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ कि अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत किये गये आदेशों के विरूद्ध अपील, केवल संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत की जायेगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उस उच्च न्यायालय के पदाभिहित न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेशों के सन्दर्भ में है। उक्त टिप्पणियाँ मुख्य न्यायाधीश के पदाभिहित के रूप में कार्य करने वाले अधीनस्थ न्यायालय पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 136 का अभिप्राय इस न्यायालय तक सीधी पहुँच की अनुमति देना नहीं है जहाँ कि अन्य समान प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं और इसमें शामिल प्रश्न कोई सार्वजनिक महत्व का नहीं है। यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार को सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करेगा, जब तक कि अपीलार्थी ने अपने लिए उपलब्ध अन्य सभी उपचारों को समाप्त नहीं कर दिया हो। इसलिए यह तर्क कि सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड का अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत याचिका खारिज करने के आदेश को केवल अनुच्छेद 136 के सहारे ही चुनौती दिया जा सकता है तर्कसंगत नहीं है। *एस.बी.पी. में निर्णय ने अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के

**समक्ष दायर रिट याचिका की पोषणीयता को प्रभावित नहीं किया। [पैरा 8] [574-जी-एच, 575-ए-सी]**

*एस.बी.पी. और कम्पनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड **(2005)** 8 एससीसी 618 पर निर्भर।

**संदर्भित निर्णय विधिः**

(2005) 8 एससीसी 618 भरोसा किया पैरा 4, 8

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 5226/2008।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ में आर.ए.संख्या 230/2006 में सी.डब्ल्यू.पी संख्या 9889/2002 के दिनांकित 05.09.2006 के अन्तिम निर्णय और आदेश से

श्याम दीवान, एन.एस. बोपाराई, ऋषि मल्होत्रा और प्रेम मल्होत्रा अपीलार्थी की ओर से।

वी.के. झांजी, ज्योती मेंदीरत्ता प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश **आर..वी.रविन्द्रन** द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गयी। पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ, उनके द्वारा संयुक्त रूप से प्रोत्साहित की जाने वाली कम्पनी के माध्यम से एक परियोजना की स्थापना के लिए 23-07-1984 को एक सहयोगात्मक करार में प्रविष्ट किया। उक्त करार के संबंध में या उससे उत्पन्न सभी विवादों और मतभेदों के सन्दर्भ में एक माध्यस्थम न्यायाधिकरण जो कि तीन सदस्यों से गठित हो, जिसमें एक प्रत्येक पक्षकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और दोनों

मध्यस्थों द्वारा प्रधान नियुक्त किया जायेगा का प्रावधान करार के खण्ड 36 में किया गया है।

3. पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ और अपीलार्थी ने नोटिस दिनांकित 19.03.1997 के द्वारा अपना मध्यस्थ नियुक्त किया और प्रत्यर्थी को अपना मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आह्वान किया। क्योंकि प्रतिवादी अनुपालन करने में विफल रहा, अपीलार्थी ने माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षिप्त में 'अधिनियम') की धारा 4 के अन्तर्गत 13-06-1997 को प्रधान सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, चण्डीगढ़ (मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का पदाभिहित और इसे इसके बाद 'पदाभिहित' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की अदालत में एक याचिका दायर की।

4. आदेश दिनांकित 16.02.2002 द्वारा उक्त पदाभिहित ने यह अभिनिर्धारित करते हुए याचिका खारिज कर दी कि मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मामला पहले से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (संक्षिप्त में 'BIFR') द्वारा निर्णित किया जा चुका था। व्यथित होकर अपीलार्थी ने पदाभिहित के आदेश को रद्द करने और करार दिनांकित 23.07.1986 के शर्तों के अनुसार मध्यस्थ कि नियुक्ति के लिए सिविल रिट याचिका सं. 9886/2002 में उच्च न्यायालय पहुँचा। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांकित 07.07.2006 द्वारा उक्त रिट याचिका को निम्नांकित संक्षिप्त आदेश द्वारा निपटाया।

> "याचिकाकर्ता माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(4) के अन्तर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन के खारिज होने से व्यथित है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति उठायी कि रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एस.बी.बी. एण्ड कम्पनी बनाम पटेल इन्जिनियरिंग लिमिटेड - 2005(8) एस.सी.सी. 618 को ध्यान में रखते हुए पोषणीय नहीं है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन निर्णित करने की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है और रिट अधिकारिता के अधीन नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् हम प्रारम्भिक आपत्ति की पुष्टी करते हैं और रिट याचिका को खारिज करते हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रार्थी को ऐसे अन्य उपचार लेने से वंचित नहीं करता जो कि विधि के अन्तर्गत उपलब्ध हो सकते हैं।''

उक्त निर्णय को इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा, निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गयी है:

(a) उच्च न्यायालय का आदेश अ-आख्यापक आदेश है और यह प्रत्यर्थी की प्रारम्भिक आपत्ति की बिना कोई कारण बताये पुष्टि करता है।

(b) सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड (मुख्य न्यायाधीश का पदाभिहित) के आदेश के विरूद्ध अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत रिट याचिका पोषणीय थी और उच्च न्यायालय का यह मानना गलत था कि इस न्यायालय के एस.बी.पी. के निर्णय के मध्यनजर रिट याचिका पोषणीय नहीं थी।

5. उठाये गये तर्को पर विचार करने से पूर्व हम उक्त अधिनियम की धारा 11 के निम्नलिखित सुसंगत प्रावधानों को उपयोगी रूप से उद्धृत कर सकते हैं :

"(4) यदि उपधारा (3) की नियुक्ति की प्रक्रिया लागू होती है और -

(क) कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ को नियुक्त करने में दूसरे पक्षकार के ऐसा करने के किसी अनुरोध की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर असफल रहता है या

(ख) दो नियुक्त मध्स्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने से असफल रहते हैं,

तो नियुक्ति, किसी पक्षकार के अनुरोध पर, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी।

(7) उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गये किसी विषय पर कोई विनिश्चय अंतिम होगा।

(10) मुख्य न्यायमूर्ति, कोई ऐसी स्कीम बना सकेगा जो वह उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) द्वारा उसे सौंपे गए विषयों के निपटारे के लिए समुचित समझे।

इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (10) के अन्तर्गत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर एक योजना बनाई जिसके अन्तर्गत सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, चण्डीगढ़, को इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) से (6) के अन्तर्गत आवेदनों को निपटाने के लिए पदाभिहित किया गया था।"

6. अधिनियम में मुख्य न्यायाधीश या उसके पदाभिहित के धारा 11 की उपधारा (4) या उपधारायें (5) और (6) के अन्तर्गत दिये आदेश के विरूद्ध अपील के प्रावधान

नहीं है। दूसरी और, धारा 11 की उपधारा (7) यह स्पष्ट करती है कि धारा 11 कि उपधारा(4), (5) या (6) के अन्तर्गत पदाभिहित का निर्णय अन्तिम है। क्योंकि पदाभिहित के आदेश के विरूद्ध कोई अपील पोषणीय नहीं थी, जैसा उसका आदेश था अन्तिम कर दिया गया एवं यद्यपि यह एक न्यायिक आदेश है, अपीलार्थी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत रिट याचिका द्वारा आदेश को चुनौती देने का एक मात्र उपाय उपलब्ध था।

7. प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि एस.बी.पी. में निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को उपचार, संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत इस न्यायालय से विशेष अनुमति माँगकर अपील पेश करना था और संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत रिट याचिका के माध्यम से नहीं और संधार्य न होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार रिट याचिका खारिज करना न्यायोचित था। 26.10.2005 को निर्णित एस.बी.पी. में इस कोर्ट ने अन्य बातों के साथ धारा 11 के विस्तार को निपटाते हुए अभिनिर्धारित कियाः

> "(ए) इस अधिनियम की धारा 11(6) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की गयी शक्ति प्रशासनिक शक्ति नहीं है अपितु न्यायिक शक्ति है।
>
> (बी) अधिनियम की धारा 11(6) के अन्तर्गत शक्ति, सम्पूर्णता में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा केवल उस उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को प्रत्यायोजित की जा सकती है।
>
> (सी) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पदाभिहित न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यथा पारित आदेश एक न्यायिक आदेश है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील

केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय में होगी।

(डी) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 11(6) के अन्तर्गत यथा प्राधिकार में जिला न्यायाधीश का पदाभिधान इस अधिनियम की योजना के अन्तर्गत न्यायसंगत नहीं है। जहाँ कि जिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 11(6) के अन्तर्गत पदाभिहित किया जा चुका था, उनके द्वारा 26-10-2005 तक किये आदेश वैध माने जायेंगे; किन्तु, यदि कोई आवेदन उनके समक्ष लम्बित है, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा पदाभिहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा निपटाने के लिए उस तिथी को अन्तरित कर दिया जायेगा।

उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 11(6) के सन्दर्भ में धारा 11(4) का सन्दर्भ शामिल है और पदाभिहित के रूप में जिला न्यायाधीश के सन्दर्भ में पदाभिहित के रूप में सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड का भी सन्दर्भ शामिल होगा।

8. हम पहले ही देख चुके हैं कि यद्यपि धारा 11(4) के अन्तर्गत आदेश एक न्यायिक आदेश है, ऐसे आदेशों की अन्तिमता से सम्बन्धित धारा 11(7) को ध्यान में रखते हुए और अपील के प्रावधान नहीं होने से, सिविल न्यायाधीश के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती थी। एस.बी.पी. में निर्णय ऐसे रिट याचिका को वर्जित करता है। एस.बी.पी. में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ कि अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत किये गये आदेशों के विरूद्ध अपील, केवल संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत की जायेगी, उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पदाभिहित न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेशों के सन्दर्भ में है। उक्त टिप्पणियाँ मुख्य न्यायाधीश के पदाभिहित के रूप में कार्य करने वाले अधीनस्थ न्यायालय पर लागू नहीं होती हैं। इस न्यायालय ने बार बार जोर दिया है कि अनुच्छेद 136 का अभिप्राय इस न्यायालय तक सीधी पहुँच की अनुमति देना नहीं है जहाँ कि अन्य समान प्रभावी उपचार उपलब्ध है और इसमें शामिल प्रश्न कोई सार्वजनिक महत्व का नहीं है; और कि यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार को सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि अपीलार्थी ने अपने लिए उपलब्ध अन्य सभी उपचारों को समाप्त नहीं कर दिया हो। इसलिए यह तर्क कि सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड का अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत याचिका खारिज करने के आदेश को केवल अनुच्छेद 136 के सहारे ही चुनौती दिया जा सकता है, तर्कसंगत नहीं है। एस.बी.पी. में निर्णय ने अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका की पोषणीयता को प्रभावित नहीं किया।

9. अतः हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं। इसके परिणामस्वरूप सिविल रिट याचिका संख्या 9889/2002 पत्रावली पर पुर्नस्थापित होगी एवं उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि इसका निस्तारण विधि के अनुसार करे।

डी.जी.

अपील स्वीकार।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **अनिल बेनीवाल (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।